रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16082024-256435
CG-DL-E-16082024-256435

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3176] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 16, 2024/श्रावण 25, 1946
No. 3176] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 16, 2024/SHRAVANA 25, 1946

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2024

का.आ. 3492(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 46 की उपधारा (2) के खंड (कक) और खंड (कख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 में,-

(i) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘(घक) “नियंत्रण” का वही अर्थ होगा, जो उसका कंपनी अधिनियम, 2013 में है और सीमित दायित्व भागीदारी के प्रयोजन के लिए उससे वहां अभिहित भागीदारों के बहुमत को नियुक्त करने का अधिकार अभिप्रेत होगा, जहां ऐसे अभिहित भागीदारों के पास अन्य को विनिर्दिष्ट रूप से अपवर्जित करते हुए सीमित दायित्व भागीदारी की सभी रीतियों पर नियंत्रण है ;’;

(ii) खंड (कघ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(घक) "स्टार्टअप कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित प्राईवेट कंपनी अभिप्रेत है और जिसकी भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक कारबार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि.127(अ) के अधीन "स्टार्टअप" के रूप में पहचान की गई है ;';

3. मूल नियमों के नियम 9 के खंड (1) के परंतुक में मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(i) जहां भी सरकारी अनुमोदन लागू हो, सभी मामलों में अंतरण के लिए पूर्व सरकारी अनुमोदन अभिप्राप्त किया जाएगा ।"।

4. मूल नियमों के नियम 9 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(9क.) साम्य लिखतों और साम्य पूंजी की आपस में अदला-बदली – किसी भारतीय कंपनी के साम्य लिखतों का भारत के निवासी किसी व्यक्ति और भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति के बीच, -

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित नियमों और रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुपालन में साम्य लिखतों की अदला-बदली ;

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित नियमों, जिसके अंतर्गत विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी विनिधान) नियम, 2022 और रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विनियम है, के अनुपालन में किसी विदेशी कंपनी की साम्य पूंजी की अदला-बदली,

माध्यम से अंतरण :

परंतु जहां कहीं सरकारी अनुमोदन लागू होता है, सभी मामलों में अंतरण के लिए पूर्व सरकारी अनुमोदन अभिप्राप्त किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण — इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "साम्य पूंजी" का वही अर्थ होगा, जो उसका समय- समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी विनिधान) नियम, 2022 में है ।"।

5. मूल नियमों में नियम 23 के उपनियम (7) के पश्चात् स्पष्टीकरण में,-

(i) उपखंड (घ) का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपखंड (i) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण — भारतीय अस्तित्व, जो किसी अनिवासी भारतीय या किसी भारत के विदेशी नागरिक, जिसके अंतर्गत कंपनी, न्यास के स्वामित्व या नियंत्रण और किसी अनिवासी भारतीय या भारत के विदेशी नागरिक के स्वामित्व और नियंत्रण में है, द्वारा इन नियमों की अनुसूची 4 की अनुपालना में गैर-संप्रत्यावर्तन के आधार पर किए गए विनिधान को अप्रत्यक्ष विदेशी विनिधान की गणना करने के लिए विचार में नहीं लाया जाएगा ।"।

6. मूल नियमों की अनुसूची 1 में -

(i) पैरा (1) के उपपैरा (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(घ) कोई भारतीय कंपनी, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित नियमों और समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अधीन रहते हुए,-

(i) साम्य लिखतों की अदला-बदली ; या

(ii) पूंजी माल या मशीनरी या उपस्कर (जिसके अंतर्गत बरती हुई मशीनरी सम्मिलित नहीं है) ; या

(iii) प्रचालन पूर्व या निगमन पूर्व व्यय (जिसके अंतर्गत भाटक का संदाय आदि सम्मिलित है) ;

(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित नियमों की अनुपालना, जिसके अंतर्गत विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी विनिधान) नियम, 2022 और समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट विनियम सम्मिलित है, की अनुपालना में किसी विदेशी कंपनी की साम्य पूंजी की अदला-बदली,

के विरुद्ध भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति को साम्य लिखत जारी कर सकेगी ।"।

स्पष्टीकरण.— इस खंड के प्रयोजनों के लिए "साम्य पूंजी" का वही अर्थ होगा, जो उसका समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी विनिधान) नियम, 2022 में है :

परंतु जहां कहीं सरकारी अनुमोदन लागू होता है, सभी मामलों में अंतरण के लिए पूर्व सरकारी अनुमोदन अभिप्राप्त किया जाएगा और अनुमोदन के लिए आवेदन सरकार द्वारा समय-समय पर विहित रीति में किया जाएगा ।" ;

(ii) पैरा (3) में खंड (क) में उपखंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(iii) सेक्टोरल या कानूनी केप तक समग्र विदेशी पोर्टफोलियो विनिधान के लिए, यथास्थिति, सरकारी अनुमोदन या क्षेत्रीय शर्तों की अनुपालना की अपेक्षा नहीं होगी, यदि ऐसे विनिधान का परिणाम निवासी भारतीय नागरिकों से निवासी भारतीय कंपनी के स्वामित्व और/या नियंत्रण का अंतरण भारत के बाहर निवास कर रहे व्यक्तियों को नहीं होता है और भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा अन्य निवेश सरकार के अनुमोदन की शर्तों और इन नियमों में निर्धारित सेक्टोरल शर्तों के अनुपालन के अधीन होंगे।" ;

(iii) सारणी में क्रम संख्या च-10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

क्रम सं. (1)	क्षेत्र/ कार्यकलाप (2)	क्षेत्रीय सीमा (3)	प्रवेश मार्ग (4)
"च.11	व्हाइट लेबल एटीएम प्रचालन (डब्ल्यूएलएओ)	100 %	स्वतः
च.11.1	अन्य शर्तें		
	(क) व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) स्थापित करने का आशय रखने वाले किसी गैर बैककारी अस्तित्व के पास अंतिम वित्तीय वर्ष के संपरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार सभी समय पर न्यूनतम एक सौ पचास करोड़ रुपए का आवर्त होना चाहिए । (ख) अस्तित्व के ऊपर क्रम सं. च-10 में निर्दिष्ट 'अन्य वित्तीय सेवाओं में लगे होने की दशा में डब्ल्यूएलए स्थापित करने वाली कंपनी ऐसी 'अन्य वित्तीय सेवाएं' में विदेशी विनिधान के लिए विदेशी विनिधान न्यूनतम पूंजीकरण संनियमों, यदि कोई हों, का भी अनुपालन करेगा' । (ग) डब्ल्यूएलएओ में विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान विशिष्ट मानदंड और संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों की शर्त के अधीन होगा ।"।		

UNCOMPLYCATE simplifying compliance

7. मूल नियमों की अनुसूची 2 के पैरा (1) के उपपैरा (क) के खंड (ii) के स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण.— दो या अधिक एफपीआई, जिसके अंतर्गत विदेशी सरकार या उनके संबंधित अस्तित्व, जिनका पचास प्रतिशत से अधिक का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सामान्य स्वामित्व या सामान्य नियंत्रण है, की दशा में ऐसे सभी एफपीआई को किसी विनिधानकर्ता समूह का भाग बनने वाला के रूप में समझा जाएगा।"।

8. मूल नियमों की अनुसूची 7 के पैरा (1) के उपपैरा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(iii) उस क्षेत्र पर ध्यान दिए बिना, जिसमें स्टार्टअप कंपनी लगी हुई है, किसी भारतीय स्टार्टअप कंपनी द्वारा जारी साम्य से संबद्ध लिखत या ऋण लिखत :

परंतु यदि विनिधान साम्य लिखतों में है तो क्षेत्रीय ऊपरी सीमा, प्रविष्टि मार्ग और सहायक शर्तें लागू होंगी।"।

[फा. सं. 1/8/2024-ईएम]

सुरभि जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), का.आ. सं. 3732 (अ), तारीख 17 अक्तूबर, 2019 में प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा किए गए :-

(i) का.आ. 4355 (अ), दिनांक 5 दिसंबर, 2019;

(ii) का.आ. 1278 (अ), दिनांक 22 अप्रैल, 2020;

(iii) का.आ. 1374 (अ), दिनांक 27 अप्रैल, 2020;

(iv) का.आ. 2442 (अ), दिनांक 27 जुलाई, 2020;

(v) का.आ. 4441 (अ), दिनांक 8 दिसंबर, 2020;

(vi) का.आ. 3206 (अ), दिनांक 9 अगस्त, 2021;

(vii) का.आ. 3411(अ), दिनांक 19 अगस्त, 2021;

(viii) का.आ. 4091(अ), दिनांक 5 अक्तूबर, 2021;

(ix) का.आ. 4242 (अ), दिनांक 12 अक्तूबर, 2021;

(x) का.आ. 1202 (अ), दिनांक 12 अप्रैल, 2022;

(xi) का.आ. 332 (अ), दिनांक 24 जनवरी, 2024;

(xii) का.आ. 1361 (अ), दिनांक 14 मार्च, 2024; और

(xiii) का.आ. 1722 (अ), दिनांक 16 अप्रैल, 2024।

UNICOMPLYCATE simplifying compliance

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2024

S.O. 3492(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (aa) and (ab) of sub-section (2) of section 46 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019, namely:—

1. (1) These rules may be called the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) (Fourth Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2, —

(i) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely: –

'(da) "control" shall have the same meaning as assigned to it in the Companies Act, 2013 and for the purposes of Limited Liability Partnership, shall mean the right to appoint majority of the designated partners, where such designated partners, with specific exclusion to others, have control over all the policies of an LLP;';

(ii) for clause (an), the following clause shall be substituted, namely: -

'(an) "startup company" means a private company incorporated under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and identified as "startup" under the notification of the Government of India number G.S.R. 127 (E), dated the 19th February, 2019 issued by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, as amended from time to time;".

3. In the principal rules, in rule 9, in clause (1), in the proviso, for item (i), the following item shall be substituted, namely: –

"(i) prior Government approval shall be obtained for transfer in all cases wherever Government approval is applicable.".

4. In the principal rules, after rule 9, the following rule shall be inserted, namely: -

"**9A. Swap of equity instruments and equity capital.** — The transfer of equity instruments of an Indian company between a person resident in India and a person resident outside India may be by way of—

(i) swap of equity instruments, in compliance with the rules prescribed by the Central Government and the regulations specified by the Reserve Bank from time to time;

(ii) swap of equity capital of a foreign company in compliance with the rules prescribed by the Central Government including the Foreign Exchange Management, (Overseas Investment) Rules, 2022, and the regulations specified by the Reserve Bank from time to time:

Provided that prior Government approval shall be obtained for transfer in all cases wherever Government approval is applicable.

Explanation. – For the purposes of this clause, the expression "equity capital" shall have the same meaning as assigned to it in the Foreign Exchange Management, (Overseas Investment) Rules, 2022, as amended from time to time.''.

5. In the principal rules, in rule 23, after sub-rule (7), in the explanation, —

(i) sub-clause (d) shall be omitted;

(ii) in sub-clause (i), for the explanation, the following explanation shall be substituted, namely: -

"Explanation. — An investment made by an Indian entity which is owned and controlled by a Non-Resident Indian or an Overseas Citizen of India including a company, a trust and a partnership firm incorporated outside India and owned and controlled by a Non-Resident Indian or an Overseas Citizen of India, on a non-repatriation basis in compliance with Schedule IV of these rules, shall not be considered for calculation of indirect foreign investment.".

6. In the principal rules, in Schedule I, –

(i) in paragraph (1), for sub-paragraph (d), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:

"(d) An Indian company may issue, subject to compliance with the rules prescribed by the Central Government and the regulations specified by the Reserve Bank from time to time, equity instruments to a person resident outside India against, –

(i) swap of equity instruments; or

(ii) import of capital goods or machinery or equipment (excluding second hand machinery); or

(iii) pre-operative or pre-incorporation expenses (including payments of rent, etc.);

(iv) swap of equity capital of a foreign company in compliance with the rules prescribed by the Central Government including Foreign Exchange Management, (Overseas Investment) Rules 2022, and the regulations specified by the Reserve Bank from time to time.

Explanation. – For the purposes of this clause, the expression "equity capital" shall have the same meaning as assigned to it in the Foreign Exchange Management,
(Overseas Investment) Rules, 2022, as amended from time to time:

Provided that Government approval shall be obtained in all cases wherever Government approval is applicable and the applications for approval shall be made in the manner prescribed by the Central Government from time to time.";

(ii) in paragraph (3), in clause (a), for sub-clause (iii), the following sub-clause shall be substituted, namely: –

"(iii) The aggregate foreign portfolio investment up to the sectoral or statutory cap shall not require Government approval or compliance of sectoral conditions as the case may be, if such investment does not result in transfer of ownership and/ or control of the resident Indian company from resident Indian citizens to persons resident outside India and other investments by a person resident outside India shall be subject to the conditions of Government approval and compliance of sectoral conditions as laid down in these rules.";

(iii) in the table, after SL. No. F.10 and the entries relating thereto, the following SL. No. and entries shall be inserted, namely: –

SL. No. (1)	**Sector/ Activity (2)**	**Sectoral Cap (3)**	**Entry Route (4)**
"F.11	White Label ATM Operations (WLAO)	100%	Automatic
F.11.1	Other conditions		
	(a) Any non-bank entity intending to set up White Label ATMs (WLAs) should have a minimum net worth of one hundred crore rupees as per the latest financial year's audited balance sheet, to be maintained at all times. (b) In case the entity is also engaged in any 'Other Financial Services' referred to in Sl. No. F.10 above, then the foreign investment in the company setting up WLA shall also comply with the minimum capitalisation norms, if any, for foreign investments in such 'Other Financial Services'. (c) FDI in the WLAO will be subject to the specific criteria and guidelines issued by the Reserve Bank under the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007).".		

UNCOMPLYCATE simplifying compliance

7. In the principal rules, in Schedule II, in paragraph (1), in sub-paragraph (a), in clause (ii), for the explanation, the following explanation shall be substituted, namely: -

> **"Explanation, –** In case two or more FPI's including foreign Governments or their related entities are having common ownership, directly or indirectly, of more than fifty percent or common control, all such FPI's shall be treated as forming part of an investor group.".

8. In the principal rules, in Schedule VII, in paragraph (1), for sub-paragraph (iii), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: –

> "(iii) equity or equity linked instrument or debt instrument issued by an Indian startup company irrespective of the sector in which the startup company is engaged:
>
> Provided that if the investment is in equity instruments, then the sectoral caps, entry routes and attendant conditions shall apply.".

[F. No. 1/8/2024-EM]

SURBHI JAIN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.3732 (E), dated the 17th October, 2019 and subsequently amended vide notification numbers: -

(i) S.O. 4355 (E), dated the 5th December 2019;
(ii) S.O. 1278 (E), dated the 22nd April, 2020;
(iii) S.O. 1374 (E), dated the 27th April, 2020;
(iv) S.O. 2442 €, dated the 27th July, 2020;
(v) S.O. 4441 (E), dated the 8th December, 2020;
(vi) S.O. 3206 (E), dated the 9th August, 2021;
(vii) S.O. 3411 (E), dated the 19th August, 2021;
(viii) S.O. 4091 (E), dated the 5th October 2021;
(ix) S.O. 4242 (E), dated the 12th October 2021;
(x) S.O. 1202 (E), dated 12th April 2022;
(xi) S.O. 332 (E), dated 24th January 2024;
(xii) S.O. 1361 (E), dated 14th March 2024; and
(xiii) S.O. 1722 (E), dated 16th April 2024.

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA